कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

CIN : U32201UP1999SGC024928

पत्रांक–1648–अनु0–2/सी0ई0एच0/2024 **दिनांक: 26/06/2024**

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा अधोलिखित अवर अभियन्ता को स्तम्भ–3 में अंकित उनके वर्तमान तैनाती इकाई से स्थानान्तरित कर स्तम्भ–4 में लिखित डिस्कॉम को आवंटित किया जाता है:–

क0 सं0	अवर अभियन्ता का नाम/ /सैप आईडी/गृह जनपद/सेवानिवृत्ति तिथि	वर्तमान तैनाती इकाई	स्थानान्तरण के पश्चात आवंटित डिस्काम	मन्तव्य
1	2	3	4	5
1	आलोक तिवारी/ 11006863/गोण्डा/31.05.2055	विद्युत वितरण खण्ड–प्रथम रामपुर अन्तर्गत प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ	स्वयं के अनुरोध पर

2. उक्त तैनाती आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या–79/1997 में दिये गये अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।
3. स्थानान्तरण नीति के प्रस्तर 9(1) में निहित प्राविधानानुसार इकाई प्रमुख/नियंत्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित अवर अभियन्ता को बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये स्थानीय व्यवस्था से तत्काल कार्यमुक्त कर उनके कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित अवर अभियन्ता कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं0–5910–गोपन(06)/पाकालि/2001, दिनांक–11/06/2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतीकरण नियमानुसार सुनिश्चित करेंगें।
5. सम्बन्धित इकाई प्रमुख का यह दायित्व होगा कि वे अपने स्तर से कारपोरेशन में विद्यमान स्थानान्तरण नीति के प्राविधानानुसार अवर अभियन्ता की तैनाती करना सुनिश्चित करेंगे।
6. उक्त आदेश के अनुपालन में स्थानान्तरण संबंधी सम्पूर्ण प्रक्रिया का सम्पादन ई0आर0पी0/सैप के माध्यम से करना सुनिश्चित किया जाए।
7. स्वयं का अनुरोध होने के कारण उपरोक्त अवर अभियन्ता को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि अनुमन्य नहीं होगा।
8. यदि वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, अंकित कार्यालय/निगम से भिन्न है, उस दशा में कार्यालय ज्ञाप में अंकित कार्यालय/निगम के स्थान पर वास्तविक वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम प्रत्येक व्यवहारिक उद्देश्य के लिये मान्य होगा।

प्रबन्ध निदेशक
उ0प्र0पा0का0लि0

संख्या :1648–अनु0–2/सी0ई0एच0/2024/तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ।
2. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड–प्रथम रामपुर।
4. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. सम्बन्धित पदधारी/कट फाइल।

26/06/2024

(उमेश सिंह यादव)
अधि0अभि0 एवं वैय0 सहा0 (षष्ठम)
कृते मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)